छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

!! आदेश !!

क्रमांक – 36

दिनांक 23/12/2020

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय/भाड़ाक्रय आवासीय योजना के भवनों की बकाया राशि पर भारित पूंजीगत ब्याज/दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट देते हुए विक्रय कर मण्डल की अवरुद्ध निधि प्राप्त करने हेतु योजना तिथि में बढ़ोत्तरी कर दिनांक 31/03/2021 तक किये जाने के संबंध में।

---000---

छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–07/2019/32 दिनांक 18/11/2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के प्रस्ताव पर निम्नानुसार अनुमति प्रदान की गई है :–

1. स्ववित्तीय योजनांतर्गत विलंबित अवधि की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ाक्रय योजनांतर्गत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट प्रदान किया जाये।
2. मण्डल द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय/व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में निम्नानुसार छूट/कमी की जाये :–

(i) निर्मित रिक्त आवासीय/व्यावसायिक भवन जो 01 से 03 वर्ष तक अविक्रित है, के वर्तमान मूल्य में (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) 15 प्रतिशत की दर से।

(ii) निर्मित रिक्त आवासीय/व्यावसायिक भवन जो 03 से अधिक वर्ष तक अविक्रित है, के वर्तमान मूल्य में (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) 20 प्रतिशत की दर से।

(iii) उपरोक्तानुसार 15 एवं 20 प्रतिशत की दर से छूट पश्चात् जिन आवासीय/व्यावसायिक भवन का मूल्य उनके प्रारंभिक मूल्य (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) से कम हो रहा हो ऐसे भवनों का विक्रय मूल्य/आफसेट मूल्य उनके प्रारंभिक मूल्य (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) के समतुल्य दर को निर्धारित किया जाये।

उक्त आदेश के परिपालन में मण्डल के आदेश क्रमांक 17 एवं 18, दिनांक 18.11.2019 द्वारा मण्डल के स्ववित्तीय एवं भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित भवनों के हितग्राहियों को भवनों की बकाया राशि पर भारित विलंबित अवधि ब्याज/दाण्डिक ब्याज में छूट तथा मण्डल की निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के मूल्यों में छूट प्रदान किया गया। COVID-19 वायरस के संक्रमण एवं हितग्राहियों की कठिनाईयों को देखते हुए छूट के तिथि में बढ़ोत्तरी की गई।

क्रमशः–02

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 66वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 09.12.2020 के पद संख्या कमांक 04 पर पारित संकल्प कमांक 1847/04/66/12/2020 के द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के आदेश कमांक 11 एवं 12, दिनांक 18.05.2020, आदेश कमांक 14, दिनांक 06.07.2020, आदेश कमांक 20, दिनांक 16.07.2020 एवं आदेश कमांक 23, दिनांक 23.10.2020 द्वारा छूट की तिथि में बढ़ोत्तरी की कार्यवाही पर विचार कर स्वीकृति प्रदान किया गया तथा योजना को दिनांक 31.03.2021 तक जारी रखने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र.2274/आ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या/एफ. /20 नवा रायपुर अटल नगर,दिनॉक23/12/2020

प्रतिलिपिः—

1. स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/वृत्त—नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर /अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04 रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग—01,02 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़ / कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमशः—03

10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,03,04, रायपुर /राज.परि.रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/ अंबिकापुर /कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संपदा अधिकारी (प्रभारी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
13. प्रभारी, एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
14. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)